न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 00035 / 2015

उनवान

1. गौतम पिता धना जाति भील निवासी नवागांव तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।

—: वादी।

बनाम

1. विशेषाधिकारी भूमि अवाप्ती अधिकारी, रतलाम डूंगरपुर रेल लाईन प्रोजेक्ट बांसवाडा।
2. तहसीलदार तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।
3. गुलाबजी पिता रूपा बलाई जाति बुनकर निवासी नवागांव तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।
4. हीरा पिता पुंजा जाति चमार निवासी नवागांव तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।
5. मुकेश पिता पुंजा जाति चमार निवासी नवागांव तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।
6. कचरी बेवा पुंजा जाति चमार निवासी नवागांव तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।
7. नाथु पिता लवजी चमार निवासी नवागांव तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।

—: प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 125, 136 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 6.5.2025

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी के पिता धना पिता नाथीया भील के नाम सर्वे नम्बर 1053 रकबा 0.28 हे. संवत् 2034–2037 में वाके गांव नवागांव पटवार हल्का भगोरा तहसील गढ़ी में दर्ज थी। जिसके वर्तमान नम्बर 763 रकबा 0.06 हे. एवं 764 रकबा 0.22 हे. कुल 0.28 हे. दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त भूमि वादी के पिता के बाद वादी के हक में आई तथा वादी उपरोक्त भूमि पर वर्षो से काबिज है। उक्त भूमि गत सेटलमेंट में राजस्व अधिकारियों ने मिलीभगत कर प्रतिवादी संख्या 3 से 7 के नाम दर्ज रिकार्ड कर दी तथा बाला–बाला उक्त भूमि कई लोगो को विक्रय कर दी। उक्त भूमि रेलवे के मार्ग में आने से प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अवाप्त किये जाकर उक्त भूमि के अन्य लोगो के नाम अवाप्ति आदेश जारी किये है। जबकि उक्त लोग इस भूमि के सद्भाविक एवं वास्तविक स्वामी नहीं है जिस वजह से उक्त व्यक्तियों को अवार्ड जारी नहीं किया जा सकता है। राजस्व कर्मियों द्वारा की गई त्रुटी को दुरस्त करने व वादी को उक्त भूमि का एकमात्र खातेदार घोषित करने तथा उक्त अवार्ड को रोके जाने बाबत् वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 125, 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत् पेश हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.06.05 17:31:27 IST
Reason: SelfAttested

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 07 की ओर से श्री दीपक जोशी अभिभाषक का वकालतनामा पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से जवाब पेश कर कथन

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा

Scanned with OKEN Scanner

किया कि वादी के पिता धन्ना पिता नाथिया के नाम सर्वे नम्बर 1053 रकबा 0.28 हे. सवंत 2034–37 में वाके ग्राम नवागांव पटवार हल्का भगोरा तहसील गढ़ी में कभी भी दर्ज नहीं रहा है। और न ही इसका वर्तमान नम्बर 763 रकबा 0.06 हे. सर्वे नम्बर 764 रकबा 0.22 हे. हमेशा से ही प्रतिवादी नम्बर 03 श्री गुलाबजी पिता रूपा बलाई निवासी गढ़ी के नाम दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी संवत 2034–37 में सर्वे नम्बर 1139 रकबा 01 बीघा 13 बीस्वा गुलाबजी पिता रूपा बलाई के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा यही सर्वे नम्बर 1139 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा का नया नम्बर 764 रकबा 0.22 हे. हुआ व 764 रकबा 0.22 हे. जमाबन्दी संवत् 2067–70 में खाता संख्या 126 नया 115 पुराना के अनुसार गुलाबजी पिता रूपा बलाई के नाम से दर्ज रिकार्ड है तथा गुलाबजी पिता रूपा बलाई ने सर्वे नम्बर 764 रकबा 0.22 हे. को कृषि से अकृषि अर्थात् आबादी में संपरिवर्तन करवाई तथा उसको विक्रय कर दिया। इस प्रकार सर्वे नम्बर 764 रकबा 0.22 हे. कभी भी वादी गोतम के नाम या उसके पिता धना पिता नाथिया के नाम दर्ज रिकार्ड नहीं रहा है।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी संख्या 04 लगायत 07 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु समूचित अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं किया। वादी द्वारा प्रस्तुत दावा एवं दावे के संलगन प्रस्तुत दस्तावेज तथा प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं जवाब के संलगन प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर प्रकरण में तनकियात् कायम की गई।

प्रकरण वादी की साक्ष्य हेतु नियत की जाने पर वादी साक्ष्य स्वरूप निम्नांकित गवाह प्रस्तुत किये:–

नाम	जाति	निवासी	गवाह
गोतम पिता धना	भील	नवागांव तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा	PW-1
मंगलजी पिता भेमा	भील	नवागांव तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा	PW-2
कालिया पिता रामा	यादव	नवागांव तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा	PW-3

प्रकरण में गोतम पिता धना PW-1, मंगलजी पिता भेमा PW-2, कालिया पिता रामा PW-3 द्वारा शपथ–पत्र पेश कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये कि :–

वादी गोतम के पिता धना पिता नाथीया भील के नाम सर्वे नम्बर 1053 रकबा 0.28 हे. संवत 2034–2037 में वाके ग्राम नवागा[illegible]ल्का भगोरा तहसील गढ़ी में दर्ज थी। जिसके वर्तमान [illegible] 0.22 हे. कुल रकबा 0.28 हे. दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि वादी के पि[illegible] बाद वादी के हक में आयी तथा वादी उक्त भूमि पर वर्षो से काबिज है। उक्त [illegible]मि वक्त सेटलमेंन्ट में राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर प्रतिवादी संख्या 03 से 07 ने अपने नाम दर्ज रिकार्ड करा दी है। तथा बाला–बाला उक्त भूमि कई लोगो को विक्रय कर दी। वर्तमान

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.06.05 17:31:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाडा

Scanned with OKEN Scanner

में उक्त भूमि रेल्वे मार्ग में आने से रेल्वे विभाग द्वारा अवाप्त की जा कर उक्त भूमि के अवाप्ति आदेश अन्य व्यक्तियो को जारी किये जा रहे है।

PW-1 गोतम पिता धना द्वारा अपनी साक्ष्य के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श कराये गये जो निम्नानुसार है :- तुलनात्म सूची संवत् 2040 प्रदर्श P-1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श P-2 सन् 1982 नक्शा ट्रेस सन् 1973-74 प्रदर्श P-3, खसरा भू-प्रबन्धन संवत् 2040 प्रदर्श P-4, खसरा भू-प्रबन्धन संवत् 2030 प्रदर्श P-5, खसरा भू-प्रबन्धन संवत् 2030 प्रदर्श P-6, खसरा गिरदावरी संवत् 2038 प्रदर्श P-7, जमाबंदी संवत् 2034-37 प्रदर्श P-8, भूमि का पट्टा प्रदर्श P-9 व प्रदर्श P-10, खाते की पुरानी डायरी प्रदर्श P-11, नक्षा ट्रेस प्रदर्श P-12, कृषि कनेक्शन उक्त भूमि प्रदर्श P-13 है।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.06.05 17:31:27 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली में बकुलाय की बहस सुनी गई। वादी अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम नवागाव के सर्वे नम्बर 1053 रकबा 0.28 हे. संवत 2034-2037 वादी के पिता धना पिता नाथीया के नाम दर्ज रिकार्ड थी। जिसके वर्तमान नम्बर 763 रकबा 0.06 हे. एवं 764 रकबा 0.22 हे. कुल 0.28 हे. है। उक्त भूमि गत सेटलमेंट में राजस्व अधिकारियों ने मिलीभगत कर प्रतिवादी संख्या 3 से 7 के नाम दर्ज रिकार्ड कर दी। तथा प्रतिवादी संख्या 03 से 07 ने उक्त भूमि कई लोगो को विक्रय कर दी। उक्त भूमि रेलवे के मार्ग में आने से प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अवाप्त किये जाकर उक्त भूमि के अन्य लोगो के नाम अवाप्ति आदेश जारी किये है। जिसे रूकवाते हुए गत सेटलमेंट हुई त्रुटि की शुद्धि की जाकर उक्त भूमि में वादी को खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन करने व वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज तुलनात्म सूची संवत् 2040 प्रदर्श P-1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श P-2 सन् 1982 नक्शा ट्रेस सन् 1973-74 प्रदर्श P-3, खसरा भू-प्रबन्धन संवत् 2040 प्रदर्श P-4, खसरा भू-प्रबन्धन संवत् 2030 प्रदर्श P-5, खसरा भू-प्रबन्धन संवत् 2030 प्रदर्श P-6, खसरा गिरदावरी संवत् 2038 प्रदर्श P-7, जमाबंदी संवत् 2034-37 प्रदर्श P-8, भूमि का पट्टा प्रदर्श P-9 व प्रदर्श P-10, खाते की पुरानी डायरी प्रदर्श P-11, नक्षा ट्रेस प्रदर्श P-12, कृषि कनेक्शन उक्त भूमि प्रदर्श P-13 का संक्षिप्त अवलोकन किया जाकर प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार हैः-

तनकी संख्या 01:- आया वादी के पिता के नाम सर्वे नम्बर 1053 रकबा 0.28 हे0 भूमि संवत 2034 से 37 में वाके गांव नवागांव पटवार हल्का भगोरा में दर्ज थी। जिसके वर्तमान नम्बर 763 रकबा 0.06 हे0 एंव सर्वे नम्बर 764 रकबा 0.22 हे0 कुल रकबा 0.28 हे0 भूमि दर्ज रेकार्ड है।

(वादी साबित करे)

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

वादी द्वारा अपनी साक्ष्य के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज खसरा भू–प्रबन्धन संवत् 2030 प्रदर्श P-5, खसरा भू–प्रबन्धन संवत् 2030 प्रदर्श P-6, खसरा गिरदावरी संवत् 2038 प्रदर्श P-7, जमाबंदी संवत् 2034–37 प्रदर्श P-8, भूमि का पट्टा प्रदर्श P-9 व प्रदर्श P-10 प्रस्तुत किये। गोतम पिता धना PW-1, मंगलजी पिता भेमा PW-2, कालिया पिता रामा PW-3 द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र पेश कर समान रूप से कथन किया है कि सर्वे नम्बर 1053 रकबा 0.28 हे. संवत 2034–2037 में वाके ग्राम नवागांव वादी गोतम के पिता धना पिता नाथीया भील के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसके वर्तमान नम्बर 763 रकबा 0.06 हे. एवं 764 रकबा 0.22 हे. कुल रकबा 0.28 हे. दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि वक्त सेटलमेंन्ट में राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर प्रतिवादी संख्या 03 से 07 ने अपने नाम दर्ज रिकार्ड करा दी है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एवं साक्ष्य के अवलोकन से यह साबित तो होता है कि ग्राम नवागांव की जमाबंदी संवत् 2034–37 में वर्णित सर्वे नम्बर 1053 वादी के पिता धना पिता नाथीया के नाम दर्ज था। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–01 तुलनात्मक सूची संवत् 2040 के अवलोकन से ज्ञात आता है कि हाल सर्वे नम्बर 764 का साबिक नम्बर 1139 है। अतः वादी द्वारा गांव नवागाव का सर्वे नम्बर 1053 वादी के पिता धना के नाम दर्ज था व सर्वे नम्बर 1053 से हाल सर्वे नम्बर 763 रकबा 0.06 हे0 बना है यह साबित करने में सफल रहा है परन्तु वादी यह साबित करने में असफल रहा है कि सर्वे नम्बर 1053 के हाल सर्वे नम्बर 764 है। लिहाज उक्त तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 02:– आया वादग्रस्त भूमि भू–प्रबन्ध के दौरान् राजस्व अधिकारियों द्वारा मिलीभगत कर प्रतिवादी संख्या 3 से 7 के नाम दर्ज रेकार्ड कर दी गई। तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 7 द्वारा उक्त भूमि कई लोगो को विक्रय कर दी। एंव वादग्रस्त भूमि जिन लोगो को विक्रय की गई है, उन लोगो के नाम से भूमि अवाप्ति में जाने से अवार्ड जारी किया जा रहा हैं जिसे रोका जाकर एंव वादी खातेदार घोषित होने का पात्र है।

(वादी साबित करे)

वादी द्वारा गवाह गोतम पिता धना PW-1, मंगलजी पिता भेमा PW-2, कालिया पिता रामा PW-3 द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र पेश कर समान रूप से कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंन्ट में राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर प्रतिवादी संख्या 03 से 07 ने अपने नाम दर्ज रिकार्ड करा दी है। तथा बाला–बाला उक्त भूमि कई लोगो को विक्रय कर दी। वर्तमान में उक्त भूमि रेल्वे लाईन में आने से सरकार द्वारा अवाप्त की जा कर उक्त भूमि के अवाप्ति आदेश अन्य व्यक्तियों के नाम जारी किये जा रहे है। वादी द्वारा उक्त तनकी के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि प्रतिवादी संख्या 03 से 07 द्वारा वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर अपने नाम दर्ज करा ली हो। प्रतिवादी संख्या 03 से 07 द्वारा उक्त भूमि का बेचान कर दिया जाना बताया है। यदि प्रतिवादी संख्या 03 से 07

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.06.05 17:31:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा वादग्रस्त भूमि का बेचान कर दिया गया था तो जिनको बेचान किया गया था उनको पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। तथा वादग्रस्त भूमि का हाल राजस्व रिकार्ड भी पेश नहीं किया है। अतः उक्त तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 03:– आया वादग्रस्त सर्वे नम्बर 1053 रकबा 0.28 हे0 भूमि जमाबन्दी संवत 2034 से 37 में वादी के पिता धन्ना पिता नाथिया के नाम कभी भी दर्ज रिकार्ड नही रही है। तथा न ही इसका वर्तमान सर्वे नम्बर 763 रकबा 0.06 हे0 बना है।

(प्रतिवादी संख्या तीन साबित करे)

प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश किये जाने से प्रतिवादी संख्या 03 से 07 द्वारा उक्त तनकी के समर्थन में कोई साक्ष्य अथवा दस्तावतेज पेश नहीं किये। वादी द्वारा उक्त तनकी के विरूद्ध जमाबंदी संवत् 2034–37 प्रदर्श P-8, तथा इसके साथ प्रस्तुत अन्य दस्तावेज खसरा भू–प्रबन्धन संवत् 2030 प्रदर्श P-5, खसरा भू–प्रबन्धन संवत् 2030 प्रदर्श P-6, खसरा गिरदावरी संवत् 2038 प्रदर्श P-7, भूमि का पट्टा प्रदर्श P-9 व प्रदर्श P-10 प्रस्तुत कर गवाह गोतम पिता धना PW-1, मंगलजी पिता भेमा PW-2, कालिया पिता रामा PW-3 द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र पेश कर समान रूप से कथन किया कि सर्वे नम्बर 1053 रकबा 0.28 हे. संवत 2034–2037 में वाके ग्राम नवागांव वादी गोतम के पिता धना पिता नाथीया भील के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसके वर्तमान नम्बर 763 रकबा 0.06 हे. एवं 764 रकबा 0.22 हे. कुल रकबा 0.28 हे. दर्ज रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेजो एवं साक्ष्य के आधार पर यह साबित होता है कि वादग्रस्त सर्वे नम्बर 1053 रकबा 0.28 हे0 भूमि जमाबन्दी संवत 2034 से 37 में वादी के पिता धन्ना पिता नाथिया के नाम दर्ज है। तथा सर्वे नम्बर 1053 रकबा 0.28 हे0 भूमि का वर्तमान सर्वे नम्बर 763 रकबा 0.06 हे0 बना है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 03 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 04:– आया वर्तमान सर्वे नम्बर 764 रकबा 0.22 हे0 भूमि पूर्व से ही प्रतिवादी संख्या 03 के नाम दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी संवत 2034 से 37 में सर्वे नम्बर 1139 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज रिकार्ड होकर नया सर्वे नम्बर 764 रकबा 0.22 हे0 भूमि जमाबन्दी संवत 2067 से 70 की खाता संख्या 126 (नया) 115 (पुराना) प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज रिकार्ड होने पर उक्त भूमि का संपरिवर्तन करवाया गया है। वादी का वाद खारिज योग्य है।

(प्रतिवादी संख्या तीन साबित करे)

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.06.05 17:31:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में प्रतिवादीण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही [illegible] किये जाने से प्रतिवादी संख्या 03 से 07 द्वारा उक्त तनकी [illegible] दस्तावतेज पेश नहीं किये। वर्तमान सर्वे नम्बर 764 [illegible] में पेश नहीं किया गया है। अतः यह स्पष्ट करना सम्भव नहीं की सर्वे नम्बर 76[illegible] किस के नाम से दर्ज रिकार्ड है। सर्वे नम्बर 1139 जमाबन्दी संवत 2034 से 37 से सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड पत्रावली में पेश नहीं किया गया है। अतः यह स्पष्ट करना सम्भव नहीं कि सर्वे नम्बर 1139

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

किस के नाम दर्ज रिकार्ड है। परन्तु वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज तुलनात्मक सूची संवत् 2040 प्रदर्श–01 के अवलोकन से ज्ञात आता है कि साबिक नम्बर 1139 का हाल सर्वे नम्बर 764 है। अतः दस्तावेजो के अभाव में उक्त तनकी का निर्णय सम्भव नहीं।

तनकी संख्या 05 अनुतोषः– तनकी संख्या 01 व 02 वादी के विरूद्ध निर्णित की गई है। तथा शेष तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में निम्नानुसार कमिया है। हितबद्ध सभी काश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया। खसरा संख्या 764 किस्म आबादी दर्ज है जबकि दावें में कृषि भूमि अंकित है। उक्त दावे में प्रतिवादी संख्या 03 से 07 तक ने भूमि का बेचान कर दिया, परन्तु बेचान के दस्तावेज संलग्न नहीं है। तथा न ही उन्हे पक्षकार बनाया गया है। इस प्रकार वादी द्वारा जो वाद पेश किया गया इसे खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06. 5.2025 को सरे ईजराय सुनाया गया।

(श्रवण सिह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी,
गढी

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.06.05 17:31:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : श्रवण सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 00035/2015

उनवान

1. गौतम पिता धना जाति भील निवासी नवागांव तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।

—: वादी।

बनाम

1. विशेषाधिकारी भूमि अवाप्ती अधिकारी, रतलाम डूंगरपुर रेल लाईन प्रोजेक्ट बांसवाडा।
2. तहसीलदार तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।
3. गुलाबजी पिता रूपा बलाई जाति बुनकर निवासी नवागांव तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।
4. हीरा पिता पुंजा जाति चमार निवासी नवागांव तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।
5. मुकेश पिता पुंजा जाति चमार निवासी नवागांव तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।
6. कचरी बेवा पुंजा जाति चमार निवासी नवागांव तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।
7. नाथु पिता लवजी चमार निवासी नवागांव तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।

—: प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 125, 136 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 06.5.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादी की ओर से प्रस्तुत वाद वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाकर इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 06.5.2025 को जारी की गई।

(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		
कुल	शून्य	कुल	शून्य

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.06.05 17:31.27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा

Scanned with OKEN Scanner